

दिनांक: 17.02.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी एवं अभियुक्त विजय सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरस्वर्ण न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा-437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में जमानतियों को प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रपत्र स्वीकार किये गये।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 29.02.2024 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।